



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 06.01.2023

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:—

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संजीव सुमन द्वारा शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी ली गयी तथा परेड का निरीक्षण किया गया



आज दिनांक 06.01.2023 को पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संजीव सुमन द्वारा पुलिस लाईन्स ग्राउंड पर शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी ली गयी तथा परेड का निरीक्षण किया गया। परेड में क्षेत्राधिकारी लाइन्स, पुलिस लाइन का पुलिस बल तथा विभिन्न कार्यालयों में नियुक्त पुलिसकर्मी सम्मिलित हुए। निरीक्षण के पश्चात महोदय द्वारा परेड में शामिल समस्त पुलिसकर्मियों को साफ-सुथरी एवं स्वच्छ वर्दी धारण करने तथा नियमानुसार टर्नआउट मेंटेन करने हेतु निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस लाइन में स्थित क्वाटर गार्ड तथा शस्त्रागार का निरीक्षण कर शस्त्रों की नियमित साफ सफाई करने का आदेश दिया गया। गार्ड कमांडरों के रजिस्ट्रों की चेकिंग कर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा 03 नफर वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 06.01.2023 को थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा ग्राम राजापुर से 03 नफर वारण्टी अभियुक्तों सम्बन्धित अ0सं0 1729/2006 को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का विवरण

1. मैकू पुत्र जगनू पासी निवासी ग्राम राजापुर थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी
2. माधव उर्फ मधुराम पुत्र जगनू पासी निवासी ग्राम राजापुर थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी
3. राजू पुत्र रामेश्वर पासी निवासी ग्राम राजापुर थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 सुरेश चन्द्र, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी
2. का0 सुनील कुमार, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा, 01 नफर अभियुक्त को (01 नफर बाल अपचारी) सहित चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल, 01 अदद अवैध तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 06.01.2023 को थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त सद्दाम पुत्र महबूब व 01 नफर बाल अपचारी को 01 अदद मोटर साइकिल, 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित बहदू ग्राम श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा जा रहा है। गौरतलब है कि वादी दीपक कुमार पुत्र राम भरोसे ग्राम पुरानी बस्ती बेलिहान थाना फूलबेहड़ जिला खीरी द्वारा स्वयं की उक्त मोटर साइकिल चोरी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 08/2023 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत कराया था ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. सद्दाम पुत्र महबूब निवासी ग्राम राजापुर थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी
2. 01 नफर बाल अपचारी

अपराधिक इतिहास अभियुक्त सद्दाम -

- मु0अ0सं0 333/15 धारा 394/411 भादवि0 थाना नीमगांव
मु0अ0सं0 356/15 धारा 394/411 भादवि0 थाना लहरपुर जनपद सीतापुर
मु0अ0सं0 131/17 धारा 2/3 यू.पी. गैंगेस्टर ऐक्ट थाना फूलबेहड़
मु0अ0सं0 365/17 धारा 395/412 भादवि0 थाना फूलबेहड़
मु0अ0सं0 397/17 धारा 307 भादवि0 थाना फूलबेहड़
मु0अ0सं0 01/18 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना फूलबेहड़
मु0अ0सं0 255/18 धारा 2/3 यू.पी. गैंगेस्टर ऐक्ट थाना फूलबेहड़
मु0अ0सं0 307/16 धारा 412 भादवि0 व 3/25 आयुध अधिनियम थाना फूलबेहड़
मु0अ0सं0 260/16 धारा 382/395/412 भादवि0 थाना फूलबेहड़
मु0अ0सं0 772/11 धारा 307/120बी भादवि0 थाना निघासन
मु0अ0सं0 773/11 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना निघासन
मु0अ0सं0 08/23 धारा 379/411 भादवि0 थाना फूलबेहड़

मु0अ0सं0 09/23 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना फूलबेहड़

बरामदगी का विवरण

- 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर
- 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 जितेन्द्र बहादुर सिंह (चौकी प्रभारी सुन्दरवल) थाना फूलबेहड़
2. उ0नि0 अंकुर कुमार
3. हे0का0 अविनाश चन्द्र
4. का0 बलवीर सिंह

थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा, 01 नफर वारंटी अभियुक्त विनोद कुमार पुत्र बाबूराम को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 06.01.2023 को थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा वाद संख्या 3169/2017 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में वारंटी अभियुक्त विनोद कुमार पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम परसेला थाना हैदराबाद जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का विवरण

विनोद कुमार पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम परसेला थाना हैदराबाद जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 अबलीश कुमार थाना हैदराबाद
2. का0 ललित कुमार

थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा, गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त परशूराम उर्फ साधू पुत्र चेतईलाल को अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 06.01.2023 को थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त परशूराम उर्फ साधू पुत्र चेतईलाल निवासी छिछौना थाना हैदराबाद जनपद खीरी को 01 अदद अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना हैदराबाद पर मु0अ0सं0 04/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

परशूराम उर्फ साधू पुत्र चेतईलाल निवासी छिछौना थाना हैदराबाद जनपद खीरी

बरामदगी:-

01 अदद अवैध चाकू

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 27/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना हैदराबाद

मु0अ0सं0 151/2019 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना हैदराबाद

मु0अ0सं0 156/2022 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना हैदराबाद

मु0अ0सं0 398/2022 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 272 भादवि0 थाना हैदराबाद

मु0अ0सं0 533/2022 धारा 2(ख)(2)/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना हैदराबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 कुलदीप सिंह, थाना हैदराबाद
2. का0 विपिन कुमार
3. का0सिकन्दर यादव
4. का0 तरुन कुमार

थाना फरधान पुलिस द्वारा, 01 नफर वांछित अभियुक्त दीपक राजवंशी को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 06.01.2023 को थाना फरधान पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 564/2022 धारा 41,411,413,467,468 भादवि0 में वांछित अभि0 दीपक राजवंशी पुत्र भारत प्रसाद नि0 मो0 राजगढ थाना को0 सदर जनपद खीरी को मनिकापुर तिराहे के पास से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

दीपक राजवंशी पुत्र भारत प्रसाद नि0 मो0 राजगढ थाना को0 सदर जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 मो0 मुश्ताक, थाना फरधान
- 2.हे0का0 कुमार गौरव शर्मा, थाना फरधान
3. का0 सतपाल सिंह, थाना फरधान

थाना मितौली पुलिस द्वारा, अपहरण व दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त अखिलेश कुमार उर्फ बहोरी लाल को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 06.01.2023 को थाना मितौली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 488/22 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में वांछित अखिलेश कुमार उर्फ बहोरी लाल पुत्र अनन्तराम नि0 मोहम्मदपुर नगरा थाना मितौली खीरी को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अखिलेश कुमार उर्फ बहोरी लाल पुत्र अनन्तराम नि0 मोहम्मदपुर नगरा थाना मितौली खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.नि०आलोक कुमार धीमान (प्रभारी निरीक्षक थाना मितौली)
- 2.उ0नि0 गोविन्द कुमार,थाना मितौली
- 3.हे0का0राजेन्द्र यादव,थाना मितौली
- 4.का0 अरूण कुमार,थाना मितौली
- 5.का0 ऋषभ सिंह,थाना मितौली

थाना मितौली पुलिस द्वारा, गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गुड्डू पुत्र जसवन्त को अवैध तमंचा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 06.01.2023 को थाना मितौली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 499/22 धारा 2ख(ii)/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधि0 में वांछित अभियुक्त गुड्डू पुत्र जसवन्त निवासी कस्बा व थाना मितौली खीरी को 01 अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया जिसके संबंध में मु0अ0सं0 10/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अभियुक्त गुड्डू पुत्र जसवन्त निवासी कस्बा व थाना मितौली खीरी

आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 57/2021 धारा 60 आबकारी अधि0 व 272 भादवि थाना मितौली खीरी
- 2.मु0अ0सं0 58/2022 धारा 60(2) आबकारी अधि0 थाना मितौली खीरी
- 3.मु0अ0सं0 499/22 धारा 2ख(ii)/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधि0 थाना मितौली खीरी
- 4.मु0अ0सं0 10/2023 धारा 3/25 ए एक्ट थाना मितौली खीरी

बरामदगी

- 01 अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर
- 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 शिवकुमार, थाना मितौली
- 2.हे0का0 बृजपाल सिंह, थाना मितौली
- 3.का0 रेहान अली, थाना मितौली

थाना गोला पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा कारतूस बरामद कर अभियुक्त अरमान अली को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 06.01.2023 को थाना गोला पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद करके अभियुक्त अरमान अली पुत्र मुस्ताक अली निवासी ग्राम गोधिया थाना भीरा जनपद खीरी हाल पतानगर मो० लक्ष्मणजित थाना गोला जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया जिसके संबंध में मु०अ०सं० 06/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अरमान अली पुत्र मुस्ताक अली निवासी ग्राम गोधिया थाना भीरा जनपद खीरी

बरामदगी

01 अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर

01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ०नि० अजीत कुमार, थाना गोला

2.का०मोहित कुमार, थाना गोला

3.का० सूर्य प्रताप राघव, थाना गोला

वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

1. थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा, अ०सं० 2483/11 धारा 272 भादवि व 60(2) Ex Act में वारण्टी अभियुक्त संजय पुत्र चौधरीलाल निवासी भवानीगंज थाना मैगलगंज जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 181 लीटर अवैध शराब बरामद कर 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **181 लीटर अवैध** कच्ची शराब व **03 शराब भट्टी** बरामद कर **15 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **13 अभियोग** पंजीकृत किए गए।